निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 कार्तिक 1941 (श0)

(सं0 पटना 1220) पटना, वृहस्पतिवार, 7 नवम्बर 2019

परिवहन विभाग

———

अधिसूचना

6 नवम्बर 2019

सं0 06/मु0–17/2018 परि0–8145––मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5 (Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।

2. सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर (In the interest of Public Safety & Convenience) पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद के क्षेत्र की सीमा में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का परिचालन तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

3. इस प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटरवाहन अधिनियम की धारा–116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयुक्त यातायात चिन्ह प्रदर्शित किये जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1220-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–

संख्याः–06/मु0–17/2018 परि0–.............. मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5(Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।

2. सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर (In the interest of Public Safety & Convenience) पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद के क्षेत्र की सीमा में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का परिचालन तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

3. इस प्रतिबंध से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटरवाहन अधिनियम की धारा–116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयुक्त यातायात चिन्ह् प्रदर्शित किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(संजय कुमार अग्रवाल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/मु0–17/2018 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/मु0–17/2018 परि0......8145 पटना, दिनांक– 6/11/18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–

संख्याः–06/मु0–17/2018 परि0–.............. मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5(Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।

2. सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर (In the interest of Public Safety & Convenience) पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद के क्षेत्र की सीमा में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का परिचालन तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है।

3. इस प्रतिबंध से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों को पूर्व सूचना के माध्यम से अवगत कराने के लिए मोटरवाहन अधिनियम की धारा–116 के अनुसार महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयुक्त यातायात चिन्ह् प्रदर्शित किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/मु0–17/2018 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/मु0–17/2018 परि0.............., पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/मु0–17/2018 परि0...8145..., पटना, दिनांक– 6/11/19

प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) /सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/11/19

सरकार के सचिव